भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *18
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

युवाओं हेतु रोजगार सृजन

***18. श्री रमेश बिधूड़ीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में लगभग 10 लाख युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"युवाओं हेतु रोजगार सृजन" के संबंध में श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 18-07-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *18 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए, रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में पदों का सृजन और उन्हें भरना, संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है और सभी मंत्रालयों/विभागों को समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। पीएलआई योजना, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के भीतर कार्यान्वित की जाती है। पीएलआई योजना के दिशा-निर्देश, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए जाते हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और विस्तार करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार दिनांक 1 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) को लागू कर रही है, ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31-03-2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें से 53.23 लाख लाभार्थी नए लाभार्थी के रूप में शामिल हुए हैं।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हैं। इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति, भारत सरकार का एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे, सभी के लिए अधिक संख्या में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर मिलते हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 46.8% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 52.6% हो गया है यह इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

*****